विभागीय संरचना : संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय एवं मैदानी कार्यालयों की संरचना निम्नानुसार हैः–

विभागीय संरचना :

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय में प्रदेश स्तर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी शीर्षस्थ अधिकारी हैं। मुख्यालय स्तर पर 1 संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी , 2 कृषि यंत्री एवं 3 सहायक कृषि यंत्री के पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा 6 संभागों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में कृषि यंत्री एवं सागर में कार्यपालन यंत्री का कार्यालय भी है। इसी प्रकार 32 जिलों भोपाल, विदिशा, इटारसी, इन्दौर, खण्डवा, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर, सिवनी, सागर सतना में कार्यालय स्थापित है तथा रीवा, सीहोर, रायसेन, बैतूल, झाबुआ, खरगोन, उज्जैन, देवास, मदसौर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, दमोह, नरसिंहपुर, छतरपुर, गुना, मुरैना एवं भिण्ड में सहायक कृषि यंत्री के कार्यालय स्थापित है।

सामान्य जानकारी :

इस संचालनालय के अधीन व्हील टाईप ट्रैक्टर्स, पावर टिलर, रिवर्सिबल प्लाऊ, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, जीरो टिलेज सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, राइस ट्रान्सप्लान्टर, कम्बाईन हार्वेस्टर, रीपर कम बाइन्डर आदि अन्य हस्त चलित एवं पशु–चलित कृषि एवं शक्ति चलित/स्वचलित कृषि यंत्र/उपरकरण यंत्र हल्की जुताई,बखरनी,बोनी आदि कृषि कार्य हेतु यंत्रदूत ग्राम तथा अन्य कृषि कार्य जैसे प्रदर्शन तथा प्रषिक्षण के लिये उपलब्ध है।

विभाग के दायित्व

इस संचालनालय का प्रमुख दायित्व कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण का विकास है। इस हेतु निम्न गतिविधियॉ संचालित की जा रही हैं ;

राज्य एवं केन्द्र की समस्त हितग्राही मूलक योजनाएं जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी वर्गो के किसानों के हितकारी योजनाएं जिसके अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैः–

- विभिन्न कृषि कार्यो हेतु बैल चलित, हस्त चलित तथा शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर कृषकों को वितरण।

- उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कृषि कार्यो के लिये उपयोगी नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के कृषकों के खेतों में प्रदर्शन।
- विभिन्न कृषि कार्यो हेतु विभागीय मशीनो को यंत्रदूत ग्राम के किसानो को निर्धारित शासकीय दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
- नवीन उन्नत कृषि यंत्रो के रख–रखाव एवं समुचित उपयोग हेतु कृषकों को प्रक्षिक्षण दिया जाता है।
- सामूहिक रूप से यंत्रीकृत कृषि अपनाने से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति किसानो को जागरूक करना।
- प्रदेश की कृषि की विशिष्ट समस्याओं जैसे पड़त भूमि छिटकवां पद्धति नरवाई जलाना आदि के निदान में कृषि यंत्रो के उपयोग के प्रति कृषकों को जागरूक करना।
- कृषको को उच्च गुणवत्ता तथा लागत की मशीनों की किराये आधार पर उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान सहापता उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण युवाकों के कौशल विकास के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार रूपी आत्म निर्भर बनाना।
- ई–किसान सारथी के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें कृषि मशीनरी उपलब्ध कराया जाना।
- ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की ऑनलाइन वयवस्था के माध्यम से ट्रेक्टर्स एवं पावर टिलर, सभी प्रकार के शक्ति चलित एवं स्वचलित कृषि यंत्र, कटाई उपरांत के उपकरण कम्बाईन हार्वेस्टर, हस्तचलित/पशुचलित उन्नत कृषि यंत्र, पंप, पाईप्स, स्प्रिंकलर, ड्रिप तथा सभी प्रकार के उद्यानिकी कृषि उपकरण आदि पर से किसानों को अनुदान का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।
- प्रदेश में कलस्टर आधार पर ग्रामों को चयनित किया जाकर उक्त ग्राम में यंत्रीकृत कृषि के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करना तथा प्रदर्शन करना। इन ग्रामों को यंत्रदूत ग्राम के रूप में जाना जाता है।

संचालनालय के अधीन संचालित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्ग के कृषकों के लिये उनकी उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित योजनाएं चलाई जाकर विषेष कार्यक्रम के माध्यम से जैसे किसानों छोटे एवं कमजोर कृषको के खेत की उत्पादकता बढ़ने तथा वर्षा जल संग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से गहरी जुताई, विशेष कृषि उपकरण, महत्वपूर्ण कृषि यंत्र तथा कृषि उपकरण कृषकों को उनका अनुदान लाभ के साथ–साथ उनको जागरूकता के लिये प्रदर्शन, प्रशिक्षण, कार्यशाला, मेले, संगोष्ठिया आदि कार्यक्रम लिये जाते है।

2. कृषि शक्ति योजना :–

प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की गतिविधियों को समग्र रूप से विस्तारित करने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम ''कृषि शक्ति योजना'' प्रारम्भ की गई है जिसके यंत्रीकृत कृषि के लाभ से किसानों को अवगत कराने के उद्देश्य से यंत्रदूत ग्रामो का विकास किया जाता है। बुवाई,निंदाई–गुड़ाई, सिचाई, कीट–आदि नियंत्रण, कटाई, गहाई आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली नवीन तकनीको के कृषि यंत्रो/उपकरणों का प्रदर्शन खेतो में किया जाता है। इसके माध्यम से किसान खेती की लागत कम करके उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर रहे है तथा किसानों का रूझान यंत्रीकृत कृषि की ओर बढ़ा है। प्रदेष मे पावर टिलर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय योजना में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 30000 तक का टॉपअप अनुदान भी इस योजना अंतर्गत दिया जाता है।

3. कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की राज्य योजनाः–

1. शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर विशेष अनुदान सहायता :–

योजना की उप योजना एक के अंतर्गत प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से विशिष्ट शक्ति चलित कृषि उपकरणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अलावा राज्य शासन द्वारा भी शक्तिचलित कृषि यंत्रो पर लागत का 25 प्रतिशत तक का टॉपअप अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत जीरोटिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल,सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल,रेज्ड बेड प्लांटर,रिवर्सिबल प्लाऊ, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर,ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर–लैण्ड लेवलर,न्युमेटिक प्लान्टर, पावर हैरो,हेप्पी सीडर,मल्टीक्राप प्लान्टर,रिजफरो प्लान्टर,राईस ट्रांस प्लान्टर, रेक एवं बेलर को सम्मिलित किया गया है।

2. निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र' स्थापना :–

इस योजना की उप योजना दो के अंतर्गत निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत 40 वर्ष तक की आयु के ग्रामीण युवाओं को उन्हें 25 लाख रू. तक के कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के प्रोजेक्ट पर लागत का 40 प्रतिशत (अ.जा. उवं अ.ज.जा. के आवेदकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त) अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान बेक ऐण्डेड सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

4. कौशल विकास केन्द्र एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन :–

योजनान्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगार युवकों कृषि उपकरण अथवा मशीनरी से संबंधित वास्तुविषय मे एवं ग्रामीण कृषि उपकरण कारीगरों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सभी ग्रामीण बेरोजगार युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार देना है।

5. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम)

केन्द्र परिवर्तित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश के किसानों एवं उद्यमियों के लिये क्रियांवित है। जिसके अन्तर्गत विशेष यंत्रों/उपकरणों का किसानों के खेतों में जीवंत प्रदर्शन किया जाता है साथ ही प्रशिक्षण के

माध्यम से किसानों में यंत्रों की उपयोगिता एवं उनके उपयोग की विधि का व्यवाहरिक ज्ञानवर्धन करना मुख्य उद्देश्य है। किसानों को उन्नत तकनीक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान है। फसल कटाई उपरांत कार्यो के लिये उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रो एवं उपकरणों को भी इसमे सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत इच्छुक हितग्राहियों तथा उद्यमियों/संस्थाओं को कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा हाई–टेक हब स्थापित कराने हेतु अनुदान का प्रावधान है।

डी.बी.टी ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल द्वारा किसानों को उनके बैक खातों में सीधे अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुदान ऑनलाइन वेबसाइट www.dbt.mpdage.org ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सम्मिलित कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरणः–

1– ट्रेक्टर एवं पावर टिलर

2– सभी प्रकार के शक्ति चलित एवं स्वचलित कृषि यंत्र

3– सभी प्रकार के कटाई उपरांत के उपकरण कम्बाईन हार्वेस्टर आदि

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना :–

योजनान्तर्गत प्रदेश में ''**गेंहू, धान, एवं दलहन**'' फसलों की कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से योजना में कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न स्तचलित/पशुचालित उन्नत कृषि यंत्र एवं शक्तिचालित कृषि उपकरणों पर कीमत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रावधान रखा गया है।

7. नेशनल आईल सीड एवं आईल पॉम मिशन योजना :–

योजनान्तर्गत प्रदेश में ''**तिलहन**'' की फसलों की पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से योजना में कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न हस्तचलित/पशुचलित उन्नत कृषि यंत्र एवं शक्तिचालित कृषि उपकरणों पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के किसान के लिये कृषि यंत्रों की कीमत का 50 प्रतिशत तक के अनुदान का प्रावधान है। अन्य सभी वर्ग के किसानों के लिये 40 तक का अनुदान प्रावधान रखा गया है।

विभागाध्यक्ष द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन :

उन्नत कृषि यंत्रों को किसानो में प्रचलित कराने हेतु कृषकों को दी जाने वाली सुविधा संबंधी जानकारी पम्पलेट इत्यादि के माध्यम से प्रकाशित की जाती है ।

राज्य शासन से विभागीय मांगः–

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के विभागीय सेटअप में परिवर्तन किया जाकर विभाग को प्रदेश के शेष संभाग तथा जिले जहां पे कृषि यंत्री अथवा सहायक कृषि यंत्री का पद तथा कार्यालय उपलब्ध नही है उन जिले अथवा संभाग में उपरोक्त अधिकारियों के पद उत्पन्न कराकर प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय को विस्तार किया जाना उचित होगा।

हितग्राही मूलक योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2017–18 (रू.लाख में)		योजनाओं की उपलब्धियॉ (इकाई संख्या में)	
		आवंटन	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि 2018–19 (31.12.2018 तक)
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	8400	3259.70	67200	26078
2.	कृषि शक्ति योजना (पावर टिलर पर टॉपअप अनुदान एवं यंत्रदूत ग्राम विकास कार्यक्रम)	790.85	434.51	1582	1273
3	कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की राज्य योजना (विशिष्ट शक्ति चलित कृषि उपकरणों पर टॉपअप अनुदान)	4175	413.60	1670	357
4.	कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की राज्य योजना	60	33.70	480	270
5.	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम)	6786.5	4170.32	24238	14894
6.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना	3200	1825.51	40000	27671
7.	नेशनल आईल सीड एवं आईल पॉम मिशन योजना	1000	0.00	11765	71